न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यशवन्त भाकर आर0ए0एस

मुकदमा नम्बर : राजस्व अपील 26/2017 2017/000218

रामप्रताप पुत्र बगडाराम जाति बिश्नोई निवासी– निमडियासर तहसील नोखा, जिला बीकानेर

अपीलाण्टान

बनाम

1– अशोक पुत्र रूपाराम जाति बिश्नोई निवासी– निमडियासर तहसील नोखा जिला बीकानेर
2– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा जिला बीकानेर

रेस्पोण्डेण्ट

::अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::

उपस्थिति :–

1– श्री विजय भादाणी – अभिभाषक अपीलार्थीगण
2– श्री सीताराम बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1
3– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 27.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार राजस्व नोखा के आदेश दिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि तहसीलदार नोखा द्वारा रिकार्ड में दर्ज रास्ता होने के बावजूद नया रास्ता खोलने के आदेश दिये गये। जो खिलाफ इंसाफ व असूल के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया कि ग्राम निमडियासर के खसरा नम्बर 403/338, 405/378 व 378/256, 404/378 में रास्ता है जो 60–70 वर्ष पुराना है। इस रास्ते को अपीलान्ट द्वारा अवरूद्ध कर दिया जिसे खुलवाया जावे। इस बयान एवं पटवारी रिपोर्ट लेकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त खसरान् में रास्ता खोलने के आदेश दिये गये जो खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी भूमि निमिडयासर में होनी बताई जबकि उसके नाम से कोई भूमि नहीं है। अवरूद्ध रास्ते को खोलने के लिए ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ग्राम पंचायत निश्चित समयावधि में रास्ता ना खुलवाये तब तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। रिकार्ड में दर्ज शुदा रास्ता यदि अवरूद्ध है तो खुलवाया जा सकता है जो रास्ता रिकार्ड में दर्ज ना हो तो उस रास्ते को नहीं खुलवाया जा सकता। अदालत मातहत में श्री कल्याणसिंह, श्री शिवराज के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है जिनकी उम्र 50 वर्ष अंकित है और उनका कहना है कि 30–35 वर्षो से रूपाराम अपनी भूमि पर निवास करता चला आ रहा है। 35 वर्ष पूर्व उनकी उम्र 13 वर्ष थी। उपखण्ड अधिकारी के आदेश के द्वारा खसरा नम्बर 378/256 में रास्ता अंकन करने का आदेश दिया गया उसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में जैरकार है। इस प्रकार मामला सबज्युडिशियल है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने तमाम कार्यवाही इकतरफा तौर पर की गई। अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। बहस के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा आरआरडी 2002 पृष्ठ 24, 215 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि ग्राम निमडियासर के खसरा नम्बर 403/378, 405/378, 378/256, 404/378 में पिछले 60–70 वर्षो से रास्ता कायम है। उक्त रास्ता सेटलमेंट पैमाईस 1990 से नक्शे में दर्ज है। मार्च 2017 में अपीलान्ट की भूमि में रास्ते का नामान्तरकरण दर्ज है। जिसे अपीलान्ट द्वारा 26.10.2017 को अवरूद्ध कर दिया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.10.2017 में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 404/378, व 377/257, की सीमा पर उत्तर दक्षिण में जो रास्ता वह अपीलान्ट द्वारा बन्द कर दिया। उक्त रास्ता नामान्तरकरण संख्या 214 व 215 दिनांक 10.3.2017 द्वारा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो मौके पर बंद है। तहसीलदार नोखा द्वारा प्रकरण के पूर्ण जांच की जाकर खेत पड़ोसियों के शपथ पत्र लेकर रास्ता खुला रखा जाने का जो निर्णय लिया गया है वह सही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकीन रास्ता सुखाचार का रास्ता है जिसे किसी भी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रकार से बन्द नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश दिनांक 17.1.2017 तहसीलदार राजस्व नोखा बहाल रखा जावे। बहस के समर्थन में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने आरएलडब्ल्यू 2011 (2) पृष्ट संख्या 885 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी की मौका रिपोर्ट व प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौके पर चल रहे पुराने रास्ते को बन्द किये जाने पर रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर रास्ता खोलने के आदेश दिये गए है, जिसकी पुष्टि रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकीन रास्ता से होती है। अपील में भी एडमिशन है कि रास्ता मौके पर चल रहा है और यह भी एडमिशन है कि रास्ता खुलवाया वही है जो राजस्व रिकार्ड में अंकित है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नोखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2017 में हस्तक्षेप करना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज करते हुवे अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2017 तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिंसकी रूह से रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये है वह यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

(यशवन्त भाकर)
अति. जिला कलक्टर
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) बीका

Scanned by CamScanner